शीर्ष प्राथमिकता/अनुस्मरण पत्र
संख्या : 2037/आठ–5–23–1712/2021

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
आगरा, रायबरेली, गाजियाबाद, मथुरा–वृन्दावन, बांदा, झांसी, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा एवं बस्ती विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
कपिलवस्तु–सिद्धार्थनगर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2023**

विषयः– विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों/ कार्यालयों में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या–451/47/का–2–2023, दिनांक 20.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों की निर्धारित प्रारूप पर पृथक–पृथक सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–1573/आठ–5–22–1712/2021, दिनांक 18.07.2022, पत्र संख्या–76/आठ–5–23–1712/2021, दिनांक 24.01.2023, पत्र संख्या–251/आठ–5–23–1712/2021, दिनांक 08.02.2023 एवं पत्र संख्या–277/आठ–5–23–1712/2021, दिनांक 15.05.2023 द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणो/कार्यालयों को संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक–पृथक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु आपके अधिकरण/कार्यालय की सूचना अब तक अप्राप्त है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अभिकरण/कार्यालय में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक–पृथक सूचना संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में दिनांक 24.11.2023 के मध्यान्ह 12:00 बजे तक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की ई–मेल आई0डी0–awasanubhag5@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसकी उच्च स्तर से सतत् समीक्षा की जा रही है, अतएव समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव

IP Singh-Go-2023

प्रारूप

विभाग में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सूचना का विवरणः–										
क्र0सं0	विभाग का नाम	संविदा				आउटसोर्सिंग				अभ्युक्ति
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	

संख्या-2037/आठ-5-2023

अनुस्मारक- IV

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

अर्द्ध शा0पत्र सं0- 451/47/का-2/2023

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग- 2

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

लखनऊ :: दिनांक : 20 अक्टूबर, 2023

प्रिय महोदय,

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ समस्त घटकों (यथा-आयोग/ निगम/ परिषद आदि) में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सूचना विशेष प्रयोजन हेतु एकत्र करने की कार्यवाही कार्मिक विभाग के स्तर पर की जा रही है जिसकी पृथक-पृथक सूचना ई-मेल आईडी karmiksection102 @gmail.com पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश कार्मिक अनुभाग- 2 के पत्र संख्या- 153/47/का-2/2022, दिनांक 15 जुलाई, 2022 एवं दिनांक 11-10-2022,अनुस्मारक पत्र सं0- 386/47/का-2/2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 पत्र सं0-285/ 47/ का-2/2023, दिनांक 09-08-2023 , पत्र सं0- 294/47/ का-2/2023, दिनांक 16-08-2023 एवं पत्र संख्या- 339/47/का-2/2023, दिनांक 14-09-2023 द्वारा प्रदत्त किये गये थे, किन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आपके विभाग द्वारा अभी तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, फलस्वरूप समग्र सूचना तैयार करने में कठिनाई हो रही है।

2- उक्त के दृष्टिगत मुझे आपसे पुन: यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया अपने विभाग में वर्ष 2017 से अब तक समूह- क, ख, ग एवं घ के पदों पर संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये व्यक्तियों की निर्धारित प्रारूप पर संकलित सूचना प्राथमिकता के आधार पर 02 दिन के भीतर कार्मिक अनुभाग-2 को हार्ड एवं साफट कापी सहित ई-मेल आई.डी. karmiksection102@ gmail. com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

सर्वोच्च प्राथमकिता निवेदित है।

भवदीय

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।